न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–षष्ठम्–सह–विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), सीतामढ़ी।

विचारण संख्या– 148/2025 + 241/2025

सी0आई0एस0 नं0– 161/2025

बिहार सरकार द्वारा सूचिका मुन्नी खातुन .....अभियोजन

बनाम्

मो0 तौफिक एवं अन्य .....अभियुक्तगण

परिशिष्ट–'ए'

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–षष्ठम्–सह–विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), सीतामढी।

उपस्थितः अशोक कुमार मांझी,

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–षष्ठम्–सह–विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), सीतामढी।

निर्णय की तिथि

23वीं जून, 2026.

(विचारण संख्या 148/2025 + 241/2025, सी0आई0एस0 नं0– 161/2025)

प्राथमिकी/अपराध एवं थाना का पूर्ण विवरणः–

बथनाहा थाना कांड संख्या– 527/2024

परिवादी/सूचिका	बिहार सरकार द्वारा मुन्नी खातुन, पति–मो0 जाबिर, ग्राम–भवानीपुर, थाना–बथनाहा, जिला–सीतामढ़ी।
प्रस्तुतकर्त्ताः–	श्रीमति गिरिजा वर्मा, विद्वान विशेष लोक अभियोजक, पॉक्सो।
अभियुक्तः– 1. **मो0 तौफिक,** उम्र–23 वर्ष, पिता–मो0 तबारक 2. **मो0 अकिल अख्तर उर्फ मो0 लड्डू,** उम्र–44 वर्ष, पिता–स्व0 फुल मोहम्मद 3. **मो0 गुलाम रसूल,** उम्र–68 वर्ष, पिता–स्व0 मो0 युनुस सभी साकिनान–भौप्रसाद, थाना–डुमरा, जिला–सीतामढ़ी।	
प्रस्तुतकर्त्ताः–	श्री रामबाबु राय, विद्वान अधिवक्ता।

Ashok Kumar Manjhi
23/06/26

परिशिष्ट–'बी'

अपराध का दिनांक	15.11.2024
प्राथमिकी का दिनांक	16.11.2024
आरोप पत्र समर्पित का दिनांक	11.02.2025
आरोप गठन का दिनांक	08.10.2025 & 12.01.2026
साक्ष्य आरम्भ होने का दिनांक	31.10.2025
निर्णय सुरक्षित करने का दिनांक	19.06.2026
निर्णय का दिनांक	23.06.2026
सजा के बिन्दु पर सुनवाई का दिनांक यदि कोई हो	कोई नहीं

अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्तों का कमांक	अभियुक्तों का नाम	गिरफ्तार/उपस्थित होने का दिनांक	जमानत पर छूटने का दिनांक	आरोप अंतर्गत	दोषमुक्ति अथवा दोषसिद्ध	सजा जो प्रदान की गई है	दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के उद्देश्य से, विचारण के दौरान गुजारी गई निरोध की अवधि
ए 1.	**मो0 तौफिक**	17.11.2024	19.05.2025	धारा 331(4), 75 बी0एन0एस0 एवं धारा 12, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम।	दोषमुक्त	कोई नहीं	कोई नहीं
ए 2.	**मो0 अकिल अख्तर उर्फ मो0 लड्डू**	————	01.07.2025	धारा 331(4), 75 बी0एन0एस0 एवं धारा 12, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम।	दोषमुक्त	कोई नहीं	कोई नहीं
ए 3.	**मो0 गुलाम रसूल**	—————	01.07.2025	धारा 331(4), 75 बी0एन0एस0	दोषमुक्त	कोई नहीं	कोई नहीं

Ashok Kumar Manjhi
23/06/26

				एवं धारा 12, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम।			

परिशिष्ट–सी

अभियोजन साक्षी, यदि कोई हो–

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
		प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, एक्सपर्ट साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या 1	पीड़िता	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
अभियोजन साक्षी संख्या 2	मुन्नी खातुन	सूचिका
टभियोजन साक्षी संख्या 3	मो0 नुरूल हसन	अन्य साक्षी

'बी'.प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से साक्षी, यदि कोई हो–

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
साक्षी संख्या	साक्षी का नाम	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, एक्सपर्ट साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
1.	कोई नहीं	कोई नहीं

'सी'. न्यायालय साक्षी, यदि कोई हो–

रैंक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
कोई नहीं	कोई नहीं	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, एक्सपर्ट साक्षी, मेडिकल साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं

Ashok Kumar Manjhi
23/06/26

'ए' अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्श–

क्रमांक	प्रदर्श नंबर	विवरण
1.	प्रदर्श–1	बी0एन0एस0एस0 की धारा 183 के बयान पर पीड़िता का हस्ताक्षर।
2.	प्रदर्श–2	लिखित आवेदन पर सूचिका का हस्ताक्षर।

'बी'. प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से प्रदर्श–

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	कोई नहीं	कोई नहीं
2.	कोई नहीं	कोई नहीं

'सी'. न्यायालय की ओर से प्रदर्श – यदि कोई हो

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	कोई नहीं	कोई नहीं
2.	कोई नहीं	कोई नहीं

सामग्री वस्तु प्रदर्श यदि कोई हो– यदि कोई हो

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	कोई नहीं	कोई नहीं
2.	कोई नहीं	कोई नहीं

निर्णय

1. उपरोक्त नामित अभियुक्तगण **1.मो0 तौफिक 2. मो0 अकिल अख्तर** उर्फ मो0 **लड्डू 3. मो0 गुलाम रसूल** का विचारण बी0एन0एस0 की धारा 331(4), 75 एवं धारा 8, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत ग्राम–भवानीपुर, थाना–बथनाहा, जिला–सीतामढी में दिनांक–15.11.2024 को कारित अपराध के लिए किया गया है।

2. अभियोजन का संक्षेप में वाद सूचिका मुन्नी खातुन के लिखित आवेदन के अनुसार यह है कि दिनांक–15.11.2024 की रात्रि लगभग 11:30 बजे 1. मो0 तौफिक 2. मो0 गुलाम 3. मो0 लड्डू सभी मिलकर मेरे घर पर आकर एवं घर मे जबरन घुसकर गाली–गलौज करते हुए एवं जान से मारने की धमकी देते हुए मेरी नाबालिग पुत्री पीड़िता उम्र–16 वर्ष के साथ छेड़छाड़ करने लगे और जबरन अपने साथ उठाकर ले जाने लगे। तभी मेरा पुत्र आमीर जग गया एवं रूम से बाहर निकला तो सभी मिलकर मारपीट करने लगे। पूर्व मे भी मो0 तौफिक मेरी लड़की के साथ छेड़छाड़ किया था। मो0 तौफिक मेरी लड़की को रात्रि में गलत नियत से अपहरण करने आया था। मेरे एवं मेरे पुत्र के द्वारा हल्ला करने पर ग्रामीण लोग आये तो वे तीनों भागने लगे। ग्रामीणों के सहयोग से मो0 तौफिक को पकड़ा गया एवं बथनाहा थाना पर लाकर सुर्पुद किया गया।

Ashok Kumar Manjhi 23/06/26

3. सूचिका के उपरोक्त लिखित आवेदन के आधार पर बथनाहा थाना कांड संख्या–527/2024 दिनांक–16.11.2024 अन्तर्गत धारा 126(2), 115(2), 74, 137(2), 62,

351(2), 351(3), 3(5), बी0एन0एस0 एवं धारा 12, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम प्राथमिकी में नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध दर्ज किया गया।

4. अनुसंधानोपरान्त अनुसंधानकर्त्ता ने घटना को सत्य पाकर अभियुक्तगण 1. मो0 **तौफिक 2. मो0 अकिल अख्तर उर्फ मो0 लड्डू 3. मो0 गुलाम रसूल** का विचारण बी0एन0एस0 की धारा 126(2), 115(2), 74, 137(2), 62, 351(2), 351(3), 3(5) एवं धारा 8, पॉक्सो एक्ट में आरोप पत्र समर्पित किया। तत्पश्चात् अभियुक्तगण **1. मो0 तौफिक 2. मो0 अकिल अख्तर उर्फ मो0 लड्डू 3. मो0 गुलाम रसूल** के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत संज्ञान लिया गया।

5. उपरोक्त नामित अभियुक्तगण **1. मो0 तौफिक 2. मो0 अकिल अख्तर उर्फ मो0 लड्डू 3. मो0 गुलाम रसूल** का विचारण बी0एन0एस0 की धारा 331(4), 75, एवं धारा 8, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आरोप का गठन किया गया, जिसे हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिसे सुनकर व समझकर अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया और विचारण की मांग किया।

इस वाद में एक पृथक वाद पूर्व मे लंबित था। इस मूल वाद मे मात्र एक अभियुक्त थे जबकि पृथक वाद मे दो अभियुक्त थे। पृथक वाद विचारण संख्या–241/2025 में पारित आदेश दिनांक–30.01.2026 के आलोक मे उक्त पृथक वाद जिसमे दो अभियुक्त 1. मो0 **अकिल अख्तर उर्फ मो0 लड्डू 2. मो0 गुलाम रसूल** का विचारण चल रहा था को इस विचारण संख्या–148/2025 मे समायोजीत किया गया, इस प्रकार अब इस मूल वाद मे कुल तीन अभियुक्तगण का विचारण होगा। दोनो विचारण वाद इस निर्णय से निष्पादित किया जा रहा है। **1. मो0 तौफिक 2. मो0 अकिल अख्तर उर्फ मो0 लड्डू 3. मो0 गुलाम रसूल** का विचारण बी0एन0एस0 की धारा 331(4), 75, एवं धारा 8, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आरोप का गठन किया गया, जिसे हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिसे सुनकर व समझकर अभियुक्त ने आरोपों से इंकार किया और विचारण की मांग किया।

6. अभियुक्तगण का दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत बयान अंकित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने आरोपों को गलत बताया एवं अपने को निर्दोष बताया।

Ashok Kumar Manjhi
23/06/26

विचारणीय बिन्दू

7. इस न्यायालय के समक्ष अब विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए सभी आरोपों को युक्ति युक्त संदेहों से परे साबित करने से सफल रहा है अथवा नहीं ?

मंतव्य

8. अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्तों के विरूद्ध लगाये आरोपों को साबित करने मे कुल **03** साक्षियों को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत कराया गया है। **अभियोजन साक्षी संख्या–1 पीड़िता, अभियोजन साक्षी संख्या–2 मुन्नी खातुन (सूचिका) एवं अभियोजन साक्षी संख्या–3 मो0 नुरूल हसन** है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपने आरोपों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में पी–1 बी0एन0एस0एस0 की धारा 183 के बयान पर पीड़िता का हस्ताक्षर, पी–2 लिखित आवेदन पर सूचिका का हस्ताक्षर प्रस्तुत किया गया। बचाव पक्ष ने अपने उपर लगे आरोपों को गलत साबित करने के लिए न तो कोई मौखिक साक्ष्य और न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है।

विनिश्चय एवं विनिश्चय के कारण

9. **अभियोजन साक्षी संख्या–1 पीड़िता** है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि मैं इस वाद की पीड़िता हूँ। यह मुकदमा मेरी अम्मी के द्वारा किया गया है। घटना दिनांक–16.11.2024 की है, न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त मो0 तौफीक एवं अन्य दो जिनका नाम याद नहीं है तीनों मेरे साथ छेड़छाड़ किया था। मैं अपने रूम में सोई हुई थी, उसी रूम में रात्रि में यह लोग आकर मेरे साथ छेड़छाड़ किए। मैं हल्ला कि तो मो0 तौफीक उसी समय पकड़ा गया और शेष लोग भाग गए। अभियुक्त को पुलिस थाना ले गई। उसके बाद मेरी अम्मी ने यह मुकदमा किया। मैं भी थाना पर गई थी। दारोगा जी हमसे पूछताछ किए, फिर न्यायालय में लाकर मेरा बयान करवाए। न्यायालय में बी0एन0एस0एस0 की धारा 183 का बयान दी थी, जिस पर मैं हस्ताक्षर की थी, जिसे पहचानती हूँ, इसे प्रदर्श P-1/PW1 अंकित किया जाता है।

बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि मैं नो भाई बहन हूँ। मैं आठवीं संतान हूँ। हम सभी भाई बहनों में उम्र के हिसाब से दो–दो साल का अंतर है। सबसे बड़ी बहन है, वह शादी सुदा एवं बाल बच्चेदार है, उसे पांच संतान है, बहन की उम्र 38 वर्ष होगी। दूसरी संतान आशिफ है जो बड़ी से दो साल छोटा है, उसके बाद बहन साजिया खातून, फिर भाई है। घटना वाली रात्रि में रूम में सोई थी, रूम का लाईट बंद था, अंधेरा होने का कारण अभियुक्त का चेहरा नहीं देख पाई। मेरा कोई शरीर नहीं छुआ था, मेरे हल्ला पर मेरी माँ मुन्नी खातून, मो0 जाहिद हुसैन और मो0 नुरू जब आए तब तक एक अभियुक्त जो न्यायालय में उपस्थित है वह पकड़ाया था बाकी दो भाग गए थे। मो0 तौफिक को पुलिस घर से ही पकड़ कर ले गई थी पुनः कहती है कि पुलिस को फोन किया गया तो पुलिस कही कि अभियुक्त को पकड़ कर थाना लाइए, तब मेरे घर से मेरी अम्मी, मेरे अब्बू, मेरे भाई आमिर पकड़ कर अभियुक्त को थाना ले गए थे। मैं साथ में थाना नहीं गई थी। मेरे गांव से थाना की दूरी नहीं बता सकती, जाने में आधा घंटा लगता है। सभी लोग ऑटो से थाना गए

Ashok Kumar Manjhi
23/06/26

थे। ऑटो वाले का नाम, नंबर नहीं पता है। घटना के करीब 15 दिनों बाद मेरा बयान हुआ था, न्यायालय में क्या बयान दी थी याद नहीं है। मजिस्ट्रेट साहब मेरा बयान मेरे हाथ में दिए थे उसे पढ़कर मैंने उसपर अपना हस्ताक्षर बनायी थी। मेरा चिकित्सीय जांच नहीं हुआ था। अभियुक्त मो0 तौफिक का घर भौप्रसाद में है जो रिस्ता में मेरी बहन के चचेरे देवर लगते हैं।

10. **अभियोजन साक्षी संख्या–2 मुन्नी खातुन (सूचिका)** है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि मैं इस केस की सूचिका हूँ। मैंने यह मुकदमा मो0 तौफिक, मो0 गुलाम एवं मो0 लड्डू के विरूद्ध की थी। घटना दिनांक–22.10.2024 समय रात्रि के 9 बजे की है, अभियुक्तगण उस समय मेरे घर पर मेरी लड़की के रूम में घूस गए और उसे बहला फुसलाकर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। मेरी बेटी पीड़िता हल्ला कि तो हल्ला पर हमलोग पहुंचे जिसमें एक अभियुक्त मो0 तौफिक पकड़ा गया जो आज न्यायालय में उपस्थित है, शेष दो भाग गया था जिसे देखकर नहीं पहचान सकती हूँ। हमलोग अभियुक्त को पकड़कर बथनाहा थाना ले गए थे, वहां मैं एक लिखित आवेदन दी जिसपर मेरा हस्ताक्षर है, यही वह आवेदन है जिसपर मेरा हस्ताक्षर है जिसे मैं पहचानती हूँ, इसे प्रदर्श P-2/PW2 अंकित किया जाता है। अनुसंधान के कम में दारोगा जी गांव में आए थे, हमसे पूछताछ किए थे एवं मेरा पुनः बयान लिए थे। पीड़िता का भी बयान पुलिस के द्वारा न्यायालय लाकर कराया गया एवं बयान के पश्चात पीड़िता को मुझे सौंप दिया गया था।

बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि पीड़िता के साथ घटना घटित होते मैं नहीं देखी थी। थाना पर आवेदन में लोगों के कहने पर मुदालहों का नाम दी थी, किसके कहने पर अभियुक्तों का नाम दी थी उसका नाम नहीं बता सकती हूँ। आवेदन लिखने वाला व्यक्ति का नाम नहीं बता सकती। आवेदन को मुझे पढ़कर सुनाया समझाया नहीं गया था मैं सिर्फ उसपर अपना हस्ताक्षर की थी। घटना के विषय में केस करने के पूर्व मुझे पीड़िता से बातचीत नहीं हुई थी। अभियुक्त मो0 तौफिक मेरी बेटी साजिया खातून का चचेरा देवर है, इससे हमलोगों का संबंध अच्छा नहीं है और न ही पूर्व से वह मेरे घर पर आता जाता था। इस केस में मैं राजि खुशी से सुलह कर ली हूँ और सुलहनामा न्यायालय में दाखिल भी की हूँ। अभियुक्त को इस वाद में बड़ी किए जाने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

Ashok Kumar 23/06/26

11. **अभियोजन साक्षी संख्या–3 मो0 नुरूल हसन** है। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि यह घटना आज से एक साल पूर्व की है। हल्ला हुआ तो जानकारी हुआ कि जो आये हुए थे उनका नाम भूल रह थे, गावं वाले से सुना था कि मुन्नी खातुन के दरवाजे पर लड्डु आया था जो लड़की पीड़िता का अपहरण करके ले गया। इसके बाद घटना के बारे कुछ नहीं जानता हूं। अभियुक्त लड्डु को नहीं पहचानते है, और शेष अभियुक्त को भी नहीं पहचानते है।

बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कहा है कि मुन्नी खातुन से घटना के बारे मे सुना था, घटना अपनी आंखो से नहीं देखा था। घटना स्थल पर मेरे अलावे बहुत सारे लोग था, उसमे हसनैन, मुमताज, मुस्ताक, गणि, फतते उपस्थित थे।

12. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी। कोई अपहरण या बहला फुसलाकर नहीं ले गया था। किसी भी अभियोजन साक्षी ने मौखिकिय या दस्तावेजिक रूप से घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्तगण निर्दोष है और अभियुक्तगण को इस वाद में गलत फंसाया गया है। अतः अभियुक्तगण को रिहा किया जाय।

13. अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि इस वाद में अभियोजन की ओर से कुल **03** अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है। **अभियोजन साक्षी संख्या–1** पीड़िता है। यह अपने मुख्य परीक्षण मे कहती है कि मैं इस वाद की पीड़िता हूं। न्यायालय मे बी0एन0एस0एस0 की धारा 183 का बयान दी थी, जिस पर मैं हस्ताक्षर की थी, जिसे पहचानती हूं, इसे प्रदर्श **P-1/PW1** अंकित किया जाता है। प्रति–परीक्षण के कंडिका 3 घटना वाली रात्रि में रूम मे सोई थी, रूम का लाईट बंद था, अंधेरा होने के कारण अभियुक्त का चेहरा नहीं देख पाई। मेरा कोई शरीर नहीं छुआ था, मेरे हल्ला पर मेरी मां मुन्नी खातुन, मो0 जाहिद हुसैन और मो0 नुरू आय थे। कंडिका 4 घटना के करीब 15 दिनों के बाद मेरा बयान न्यायालय मे हुआ था, न्यायालय में क्या बयान दी थी याद नहीं है। कंडिका 5 अभियुक्त मो0 तौफिक का घर भौप्रसाद में है, जो रिस्ते में मेरी बहन का के चचेरे देवर लगते है। **अभियोजन साक्षी संख्या–2 मुन्नी खातुन (सूचिका)** है। यह अपने मुख्य–परीक्षण मे कहती है कि मैं इस केस की सूचिका हूं। थाने पर लिखित आवेदन दी थी, जिस पर मेरा हस्ताक्षर है, जिसे पहचानता हूं, इसे पदर्श **P-2/PW2** अंकित किया जाता है। प्रति–परीक्षण के कंडिका 4 पीड़िता के साथ घटना घटित होते मैं नहीं देखी थी। थाना पर दिए आवेदन मे लोगों के कहने पर मुदालहों का नाम दी थी, किसके कहने पर अभियुक्तों का नाम दी थी, उसका नाम नहीं बता सकती हूं। आवेदन लिखने वाले व्यक्ति का नाम नहीं बता सकती हूं। आवेदन को मुझे पढ़कर नहीं सुनाया और समझाया नहीं गया था, मैं सिर्फ आवदेन पर अपना हस्ताक्षर की थी। कंडिका 5 घटना के विषय में केस करने के पूर्व मुझे पीड़िता से बातचीत नहीं हुई थी। कंडिका 6 अभियुक्त मो0 तौफिक मेरी बेटी साजिया खातुन का चचेरा देवर है, इससे हमलोगों का संबंध अच्छा नहीं है और ना ही पूर्व से वह मेरे घर पर आता–जाता था। कंडिका 7 इस केस मे राजी खुशी से सुलह कर ली हूं और सुलहनामा न्यायालय में दाखिल भी की हूं। कंडिका 8 अभियुक्त को इस वाद में बड़ी किए जाने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। **अभियोजन साक्षी संख्या–3 मो0 नुरूल हसन** है। यह अपने प्रति–परीक्षण के कंडिका 3 मुन्नी खातुन से घटना के बारे मे सुना था, घटना अपनी आंखों से नहीं देखा था। घटना स्थल पर मेरे अलावे बहुत सारे लोग थे।

Ashok Kumar Manjhi
23/06/26

इस वाद मे अभियोजन साक्षी पीड़िता जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसका कथन है कि घटना वाले दिन मै रूम मे सोई हुई थी, रूम का लाईट बंद था, अंधेरा होने के कारण अभियुक्त का चेहरा नहीं देख पाई और मेरा कोई शरीर नहीं छुआ था। अभियोजन साक्षी सूचिका का कथन है कि घटना को मैं अपनी आंखों से नहीं देखी थी। थाने पर दिए गये आवेदन मे अभियुक्तगण का नाम गांव के लोगों के कहने पर दी थी, आवेदन मुझे पढ़कर नहीं

सुनाया गया था, मै आवेदन पर सिर्फ अपना हस्ताक्षर की थी और इस केस मे मैं राजी खुशी से सुलह–सलाह कर ली हूं। अभियोजन पक्ष की ओर से एक स्वतंत्र साक्षी का साक्ष्य हेतु प्रस्तुत कराया गया जिसके द्वारा भी घटना का समर्थन नहीं किया गय है तथा अनुसंधानकर्त्ता को परीक्षित नहीं कराया गया है, जिससे घटना संदेहात्मक हो जाता है। अभिलेख पर उपलब्ध सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य के विश्लेषण से यह स्पष्ट हैं कि अभियोजन पक्ष के द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध लाए गए सभी आरोपों से युक्तयुक्त संदेहों से परे साबित करने में पूर्णतः हर दृष्टिकोण से असफल रहे है। परिणामतः

आदेश

14. उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं प्रदर्शो पर विचार करते हुए न्यायालय इस नतीजे पर पाता है कि अभियोजन पक्ष के द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित किसी भी धारा को युक्तियुक्त संदेहों को पूर्ण करने मे असफल रहे है। अतः अभियुक्तगण **1. मो0 तौफिक 2. मो0 अकिल अख्तर उर्फ मो0 लड्डू 3. मो0 गुलाम रसूल** का विचारण बी0एन0एस0 की धारा 331(4), 75, एवं धारा 8, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम से साक्ष्य के अभाव मे संदेहों का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है। चुंकि अभियुक्तगण जमानत पर है, अतः उनके जमानतदारों को जमानत बंध पत्र के सभी दायित्वों से उनमुक्त किया जाता है। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि इस वाद के साक्षियों के विरूद्ध निर्गत अधिपत्र को बिना तामिला वापस करने हेतु संबंधित थाना को पत्र निर्गत करें एवं अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित, संशोधित, उद्घोषित
Ashok Kumar Manjhi
23/06/26
अशोक कुमार मांझी
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम्
सह विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट),
सीतामढ़ी।
दिनांक 23.06.2026

लेखापित
Ashok Kumar Manjhi
23/06/26
अशोक कुमार मांझी
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम्
सह विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट),
सीतामढ़ी।
दिनांक 23.06.2026

1.	Date of Judgement/Order	23-06-2026
2.	Date of Reserving Judgement/Order	19-06-2026
3.	Uploading Date	29-06-2026
4.	Uploaded by	Sri Purnendu Kumar